	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
...10-21	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखेते है। अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषणगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 29-10-21 को पेश हों।	
29-10-21	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखेते है। अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषणगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 12-11-21 को पेश हों।	
12-11-21	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखेते है। अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषणगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 6-12-21 को पेश हों। प्रशासन गांव के संग अभियान में मुकाम जावद में पेश हो।	
6-12-21	पत्रावली प्रशासन गावों के संग अभियान 2021 में चौहटे की जाकर ग्राम पंचायत मुख्यालय जावद में पेश हुई। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण उपस्थित अप्रार्थी नाथूलाल ने सहमति अनुसार पूर्व प्रचलित रास्ते को ही खाता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने सहमति दी गई एवं मौका तहसीलदार इन्द्रगढ़ द्वारा नक्शा ट्रेस में दर्शाये अनुसार खाता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश मंजूर आम किये गये। विस्तृत निर्णय पृथक से लेखबद्ध जाकर शामिल पत्रावली किया गया। राजस्व रिकार्ड में रास्ता अंकन करने की तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बूंदी)	तहरीर 66/ 13/12/21

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी,जिला बून्दी राज0

29 / प्रा0प0 / 2020 पीठासीन अधिकारी

दायरा दिनांक 09.07.2020 श्री युगांतर शर्मा(RAS)

बउनवान

1. मनचेताबाई पुत्री स्वर्गीय आशाराम पत्नी मस्तराम जाति मीना निवासी बेलनगंज हाल निवासी ग्राम चमनगंज तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज0)

बनाम

1. नाथूलाल आ0 मोरपाल जाति मीना निवासी बेलनगंज तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज0)

2. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार साहब इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क. आर.टी.एक्ट

उपस्थित :– 1. एडवोकेट धीरज जैन(प्रार्थी)

2.एडवोकेट दिनेश शर्मा(अप्रार्थी)

–: निर्णय :– दिनांक :–06.12.2021

प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 आर.टी.एक्ट में प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थिया की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खाता संख्या नई 76 पुरानी 65 की खसरा संख्या 673 रकबा 2.01 है0 वाके ग्राम बेलनगंज तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0 में स्थित है।प्रार्थिया की उपरोक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमियों में आने जाने के लिए रास्ता ग्राम बेलनगंज से बाबई जाने वाले आम रास्ते पर होकर अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी कृषि भूमि ख0सं0 637 रकबा 0.77 है0

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

के ग्राम बेलनगंज की उतरी मेड के सहारे होकर प्रार्थिया की खातेदारी कृषि भूमि ख0 सं0 674 में होकर ख0सं0 673 में आता है।प्रार्थिया इसी रास्ते से फसल को लाने ले जाने व खाद बीज,बैल,कुली,ट्रेक्टर,इत्यादि लाने ले जाने के लिये काफी वर्षो से काम में लेती चली आ रही है।उक्त रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थिया की कृषि भूमियों में आने जाने के लिये अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही हैं।अप्रार्थी संख्या 1 अपने परिजनों के साथ प्रार्थिया का रास्ता बन्द करने की धमकी देता है।प्रार्थिया का उपरोक्त रास्ता बन्द कर दिया गया तो प्रार्थिया की कृषि भूमियों में फसल काश्त नही की जा सकेगी जिससे प्रार्थिया को भारी आर्थिक नुकसान होगा।और अन्त में निवेदन किया गया कि अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी कृषि भूमि ख0सं0 637 की उतरी मेड के सहारे–सहारे 20 फीट चौडाई में प्रार्थिया के खेतों पर आने जाने के लिये रास्ता दिलवाया जावे एवं रास्ते में आने वाली भूमि को गैर मुमकीन रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर उसी अनुरूप तरमीम करवाया जावे।रास्ते की भूमि की जो भी कीमत होगी प्रार्थिया आदेशानुसार राशि जमा कराने को तैयार है।

प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ख0सं0 637 रकबा 0.77 है0 ग्राम बेलनगंज की उत्तरी मेड के सहारे कोई आम रास्ता नही है।बलकि मध्य में अपने खेत में कृषि यंत्र ट्रेक्टर इत्यादि लाने ले जाने का 12 फुट चौडाई में रास्ता स्वंय अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा बना रखा है जिसका उपयोग प्रार्थिया भी करती चली आ रही है।उक्त रास्ते की भूमि बिना प्रतिफल के प्रार्थिया के उपयोग हेतु रखी है।जिसका अप्रार्थी भी उपयोग करता चला आ रहा है।और अन्त में निवेदन किया कि ख0सं0 637 के मध्य में 12 फीट चौडा रास्ता जो ख0सं0 674–75 की मध्य मेड तक बना हुआ है। जिसका उपयोग बिना किसी प्रतिफल राशि चुकाये प्रार्थिया को उपयोग में लिये जाने पर सहमत हुॅ।अप्रार्थी संख्या 1 रास्ता भूमि के बदले कोई प्रतिफल नही लेना चाहता है।अप्रार्थी संख्या 2 से मौका रिर्पोट में डीएलसी दर के साथ रिर्पोट पेश की गई।मौका रिर्पोट के अनुसार उक्त रास्ते में आने वाली भूमि 32 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौडाई के अनुसार कुल 128 वर्गमीटर भूमि रास्ते के उपयोग में आती है।

पत्रावली को प्रशासन गावों के संग अभियान 2021 में चिन्हित किया जाकर ग्राम पंचायत मुख्यालय बाबई में रखा गया।प्रार्थिया व अप्रार्थी नाथूलाल हाजिर

उपखण्ड अधिकारी
बाबई (बूंदी)

विर आये।हमारे द्वारा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात फर्द मौका रिर्पोट तहसीलदार इन्द्रगढ एवं नक्शा ट्रेश में दर्शाये गये रास्ते का अवलोकन किया गया भूमिधारी तहसीलदार इन्द्रगढ की रिर्पोट के मुताबिक प्रार्थिया की खातेदारी कृषि भूमि पर आने जाने का रास्ता नही होने सें प्रार्थिया पूर्व से ही अप्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि ख0नं0 637 के मध्य बने हुये रास्ते से आते जाते रहे है।फसल काश्त हेतु उक्त रास्ते का ही उपयोंग किया जाता रहा है।

अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा स्वंय की खातेदारी कृषि भूमि खसरा सं0 637 के मध्य बने पूर्व रास्ते को ही बिना प्रतिफल सहमति से रास्ता बहाल रखे जाने को तैयार है।~~अतः~~ सहमति से ही उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकीन रास्ता दर्ज किये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 1 की सहमति एवं प्रतिवादी संख्या 2 की मौका रिर्पोट एवं नक्शा ट्रेश में दर्शाये रास्ते अनुसार स्वीकार किया जाता है।तहसीलदार इन्द्रगढ को आदेशित किया जाता है कि खसरा सं0 637 के मध्य बने एवं नक्शा ट्रेश में दर्शाये अनुसार बेलनगंज से बाबई आने जाने वाले मुख्य रास्ते से ख0नं0 637 के मध्य से होता हुआ खसरा नं0 674 की मेड तक 15 फुट की चौडाई में गैर मुमकीन रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर तरमीम करावे।अप्रार्थी संख्या 1 को पाबन्द किया जाता है कि उक्त रास्ते पर कही पर भी गेट नही लगावे न ही किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न करे।पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हों।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 06.12.2021 को मजमे आम सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी(बून्दी)